

(1)

(2)

(3)



न्यायालय कलेक्टर सीहोर जिला सीहोर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक 0036 / अ-20(3) / 2024-26

म.प्र. शासन

वन विभाग

आवेदक

विरुद्ध

सर्वसाधारण

अनावेदक

—आदेश—

(पारित दिनांक 10/10/2024)

अंतर्गत म०प्र० नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 अन्तर्गत सम्पर्क अधिकारी रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन ग्राम आमला मज्जू तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा क्रमांक 1/1 के कुल रकबा 21.570 हे० हे० में से 21.570 हे० हे० भूमि नोईयत शासकीय आवादी रेल लाईन से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन स्थाई रूप से आवंटन किये जाने प्रारूप - एक मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण विधिवत पंजीबद्ध किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी आष्टा से अध्याय-2 निर्देश-13 अंतर्गत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 मे विहित प्रक्रिया अनुसार जौच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।
3. तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण न्यायालय मे विधिवत दर्ज किया जाकर सर्व साधारण को सूचनार्थ, आपति आमंत्रण हेतु इश्तहार प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन उपरांत नियत समयावधि मे कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण मे स्थानीय निकाय तथा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से अभिमत चाहा गया। नियत समयावधि मे कोई अभिमत/आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। जौच प्रक्रिया उपरांत अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा द्वारा ग्राम आमला मज्जू तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा नम्बर 1/1 कुल रकबा 21.570 हे० में से 21.570 हे० हे० नोईयत शासकीय दर्ज अभिलेख है। प्रस्तावित भूमि का विवरण इस प्रकार है:-



(1)

(2)

| क्रमांक | ग्राम का नाम | खसरा कमांक | नोईयत  | कुल रकवा (हेक्टेयर में) | आवंटन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टेयर में) |
|---------|--------------|------------|--------|-------------------------|---|
| 01      | आमला मज्जू   | 1/1        | शासकीय | 21.570 हेटू             | 21.570 हेटू                               |

4. अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन सहित प्रकरण मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 अध्याय-2 नियम 14 अन्तर्गत जिला नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष भूमि हस्तातरण की स्वीकृति हेतु रखा गया। उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत समिति द्वारा ग्राम आमला मज्जू तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा कमांक 1/1 के कुल रकवा 21.570 हेटू 21.570 हेटू भूमि नोईयत शासकीय भूमि की नोईयत धारा-237 मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत नजूल घोषित करते हुये रखाई आवंटन की सर्व सहमति से स्वीकृति प्रदान की गई।

5. प्रकरण में संलग्न अभिलेखो, तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के प्रस्ताव, जिला नजूल निर्वर्तन समिति से स्वीकृति/अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 14 अन्तर्गत ग्राम आमला मज्जू तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा कमांक 1/1 के "कुल रकवा 21.570 हेटू भूमि नोईयत शासकीय भूमि की नोईयत धारा-237 मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका-14 अन्तर्गत रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है" :-

| क्र | ग्राम का नाम | खसरा कमांक | नोईयत | कुल रकवा (हेक्टेयर में) | हस्तातरित रकवा (हेक्टेयर में) |
|-----|--------------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 01  | आमला मज्जू   | 1/1        | नजूल  | 21.570 हेटू             | 21.570 हेटू                   |

### शर्ते -

1. हस्तातरित भूमि का उपयोग केवल प्रस्तावित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा।
2. आवटित भूमि का स्वीकृत उपयोग परिवर्तन की स्थिति में पुनः सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।



कलेक्टर सीहोर

(1)

(2)

पृ०कमांक ..... / 1995  
प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा) आष्टा / तहसीलदार, जावर जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। हस्तांतरण आदेश का राजस्व अभिलेखो में अमल कराना सुनिश्चित करें। पालन उपरांत अपडेटेड खसरा नकल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. सम्पर्क अधिकारी रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सीहोर दिनांक 1.2.10/24



कलक्टर  
कांजीला सीहोर